प्रेसनोट थाना एत्मादपुर जनपद आगरा 15.09.2021

थाना एत्मादपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में हुयी हत्या का सफल अनावरण करते हुये 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार.....

दिनांक 08.09.2021 को वादिया मंजू पुत्री रामबाबू निवासी कोकन्दा थाना खंदौली जनपद आगरा द्वारा थाना एत्मादपुर पर तहरीर दी कि मेरी शादी नवल किशोर व मेरी बहन रामवती की शादी रूपकिशोर से हुई थी। हमारे ससुराल से हमारी रंजिश चल रही थी। दिनांक 08.09.2021 को महेन्द सिंह मेरे पिता रामबाबू पुत्र पोपसिंह को अपने साथ एत्मादपुर ले गया था हमें शाम को पता चला कि मेरे पिता की भागुपुर पुल पर महेन्द सिंह, ब्रजकिशोर, रूपकिशोर, जसकिशोर, नवल किशोर व हुकुम सिंह ने गोली मार कर हत्या कर दी हैं। इस सम्बंध में थाना एत्मादपुर पर मु0अ0सं0 332/2021 व 340/2021 धारा 147 /148 /149/ 302/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयास के क्रम में दिनांक 15.09.2021 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण जयकिशोर, नवलकिशोर, हुकुम सिंह, राम कुमार उर्फ रामू को बनखण्डी मंदिर वाले रास्ते में जंगल के पास से एस बारगी दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त नवलकिशोर ने बताया कि रामबाबू रिश्ते में मेरा ससुर है तथा हम परिवारवालो को पूरा शक था कि मेरे भाई को मारने में रामबाबू का षडयंत्र था, तभी से हम लोगो ने रामबाबू से बदला लेने की सोच ली थी और रामबाबू की बेटिया भी पूर्व में ही हमारे घर से लडाई झगडा करके घर छोड कर चली गयी थी। रामबाबू ने हम लोगो के परिवार पर केस कर दिया था और समझौता करने के लिये 36 लाख रूपये की मोटी रकम मांग रहा एंव हम लोगो को काफी परेशान भी कर रहा था। परेशान होकर हम लोगो ने रामू के साथ मिलकर रामबाबू को मारने की योजना बनाई। रामबाबू को समझोते के लिये तहसील में बुलाया गया तो मेरे परिवार से मेरे पिता हुकुम सिंह भाई बृज किशोर व रूप किशोर तहसील में अन्दर गये और मैं व रामकुमार उर्फ रामू तहसील के बाहर खडे रहे। जब समझोते की बात नही बनी तब जयकिशोर ने

तहसील से निकलने की सूचना दी। फिर कुछ देर बाद रामबाबू तहसील से बाहर आया तो मैने व रामू ने उसका मोटर साईकिल से पीछा किया। एंव मौका देखकर भागूपुर पुल के पास मोटर साईकिल रूकवाते हुये अंधाधुंध गोली चलायी जिससे रामबाबू की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. जयकिशोर पुत्र हुकुम सिंह निवासी नगला बृजलाल थाना एत्मादपुर जनपद आगरा।

02. नवलकिशोर पुत्र हुकुम सिंह निवासी नगला बृजलाल थाना एत्मादपुर जनपद आगरा।

03. हुकुम सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी नगला बृजलाल थाना एत्मादपुर जनपद आगरा।

04. राम कुमार उर्फ रामू पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बांस रिसाल थाना खंदौली जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :–

01. एक मोटर साइकिल (UP 80 CY 1587)।

02. आलाकत्ल एक अद्द पिस्टल 32 बोर मय 02 अद्द खाली मैगजीन।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास :–

- **अभि0 जयकिशोर, हुकुम सिंह व रामू का आपराधिक इतिहास :–**

01. मु0अ0सं0 332/2021 धारा 147/148/149/302/506 भादवि थाना एत्मादपुर जनपद आगरा।

- **अभि0 नवलकिशोर का आपराधिक इतिहास :–**

01. मु0अ0सं0 332/2021 धारा 147/148/149/302/506 भादवि थाना एत्मादपुर जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं0 340/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना एत्मादपुर जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज कुमार सैनी मय टीम थाना एत्मादपुर जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।